

# समाचार पचासा

राजनीति का जनपक्षकार

## सरकारी 15 लाख नौकरी पर कैंची

सात उद्यमों में खत्म हो गए 3.84 लाख रोजगार, 42.5 प्रतिशत कार्यबल नियमित नहीं

## जितेंद्र भारद्वाज

केंद्र सरकार में एक तरफ नौकरी लेने वालों की कठोर लंबी हो रही है तो दूसरी ओर सरकारी नौकरियों पर लगातार केंची चलना जारी है। केंद्र में 11 लाख तो सर्वजनिक उद्यमों में 4 लाख पद खाली पड़े हैं। अब यह गारंटी भी नहीं है कि ये सभी पद भरे जाएंगे या नहीं। एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के मुताबिक, वर्तमान सरकार ने आश्वासन दिया था कि देश के बेरोजगार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न कराएंगी।

2012-13 से 2021-22 की अवधि के लिए हाल ही में प्रकाशित सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी नियम और सरकारी सहायक कंपनियां, जो 17.3 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान कर रहे थे, मार्च 2022 के दौरान घटकर वह संख्या 14.6 लाख रह गई है।

गत साल कोग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्वीट में लिखा था, कांग्रेस सरकारों ने देश में रोजगार देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उम्मा कंपनियां बनाई थीं। मोदी सरकार में उन कंपनियों की हालत खबार हो गई है। सर्वेक्षण कोग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के मुताबिक, 389 सीपीएसयू में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसमें से 284 उद्यम अभी भी चलूँ हैं। इनकी नौकरियों में 2.7 लाख से अधिक को भारी गिरावट आई है। कुल कार्यबल में से 17 प्रतिशत स्टाफ, आकस्मिक और दैनिक वेतन के अधार पर काम कर रहा है। जब अप्रैल 2022 के दौरान एमटीएनएल में वह संख्या 39,283 से 4,286, एफसीआई में 80,1672 से 52,104 और एप्नेजीसी 49,366 से 28,246 हो गई है। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी चर्चा पर है, वहां इस तरह से रोजगार घटना, बहुत चिंतनक है।



रोजगार खत्म क्यों किया जा रहा है। देश नियमों में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली इन कंपनियों को मोदी सरकार वर्तमान कार्यबल के तौर पर कार्यरत है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि सात सीपीएसयू में स्थायी कर्मचारियों की संख्या बीमांकित की गई है। प्रमुख सीपीएसयू-बीएसएनएल में एक ग्राहकीया के दौरान 2022 में 2,55,840 थी, चट्कर 1,81,127 हो गई है। सेल में 1,86,207 से घटकर 1,24,279 हो गई। मार्च 2022 के दौरान एमटीएनएल में वह संख्या 39,283 से 4,286, एफसीआई में 80,1672 से 52,104 और एप्नेजीसी 49,366 से 28,246 हो गई है। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी चर्चा पर है, वहां इस तरह से रोजगार घटना, बहुत चिंतनक है।

## 42.5 प्रतिशत कार्यबल नियमित नहीं

एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव के मुताबिक, 389 सीपीएसयू में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसमें से 284 उद्यम अभी भी चलूँ हैं। इनकी नौकरियों में 2.7 लाख से अधिक को भारी गिरावट आई है। कुल कार्यबल में से 17 प्रतिशत स्टाफ, आकस्मिक और दैनिक वेतन के अधार पर काम कर रहा है। जब अप्रैल 2022 के दौरान एमटीएनएल में वह संख्या 39,283 से 4,286, एफसीआई में 80,1672 से 52,104 और एप्नेजीसी 49,366 से 28,246 हो गई है। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी चर्चा पर है, वहां इस तरह से रोजगार घटना, बहुत चिंतनक है।

श्रीकुमार सर्वाल उद्योगों में किया जाता है कि नियमों में बंटी 41 आयुध फैक्ट्रियों का भविष्य क्या है। जब 41 आयुध फैक्ट्रियों का नियमीकरण किया गया था तो उस वक्त अक्टूबर 2021 के दौरान 78 हजार कर्मचारी थे। आज वह संख्या 70,000 है। सरकार ने आयुध कारखानों में नई नई भर्ती नहीं करने का फैसला किया है। आयुध नियमियों की संख्या बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। वहां आकस्मिक/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि 2022 में सीपीएसयू और नियमों में 42.5 प्रतिशत

## रक्षा मंत्रालय में 2.9 लाख सिविल पद रिक्त

सी. श्रीकुमार बताते हैं कि केंद्र में अकेले रक्षा मंत्रालय के सिविल पदों की बात करें तो 2.9 लाख पद खाली पड़े हैं। वे एआईडीएफ की ओर से इन पदों को भरने के लिए लड़ रहे हैं। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में भी नौकरियों की स्थिति ठीक नहीं है। वर्ष 1994 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 41.76 लाख थी, जो आज घटकर 30 लाख रह गई है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ज्यादा पद खाली हैं। रेलवे में 3.5 लाख, रक्षा विभाग में 2.90 लाख और डाक विभाग में 1 लाख पद खाली पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इन विभागों में काम कम हो गया है, बल्कि पहले के मुकाबले काम कई जुनून बढ़ा दिया गया है। आउट सोर्सिंग, ठेक श्रमिकों की तैनाती और आकस्मिक व दैनिक वेतन भोगी श्रमिक आदि के माध्यम से स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है।

## सरकार खुद श्रम कानूनों का उल्लंघन करती है

त्रम कानूनों के तहत अनुबंध श्रमिकों को केवल मौसमी नौकरियों और सीमित अवधि की नौकरियों के लिए रखा जा सकता है। संविदा और केंजुल श्रमिकों को स्थायी व बारहमासी नौकरियों पर तैनात नहीं किया जा सकता है। सरकार खुद इसका उल्लंघन करती है। त्रम कानूनों के तहत, नौकरी की कौशल आवश्यकता के अधार पर निर्धारित न्यूनतम वेतन अनुबंध श्रमिकों को अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाना आवश्यक है।

हालांकि टेक्केदार, ऐसे कर्मचारियों के वेतन का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा ले लेते हैं। टेक्केदार ईपीएफ और ईएसआई अंग्रेजी अंसेन्डन का भुगतान किए जाने से भाग जाता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध कर्मचारी असराय असराय बने रहते हैं। जब किसी संविदा कार्यबल की नौकरी करते वह समय दुर्घटना में मृत्यु हो तो उसके परिवर्त को भी एकत्र करते वह संख्या गया है।

हालांकि टेक्केदार, ऐसे कर्मचारियों के वेतन का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा ले लेते हैं। टेक्केदार ईपीएफ और ईएसआई अंग्रेजी अंसेन्डन का भुगतान किए जाने से भाग जाता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध कर्मचारी असराय असराय बने रहते हैं। जब किसी संविदा कार्यबल की नौकरी करते वह समय दुर्घटना में मृत्यु हो तो उसके परिवर्त को भी एकत्र करते वह संख्या गया है।

यह महसूस किया था कि वह कम से कम 100 लोकसभा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कमज़ोर है। उसका मानना था कि चुनावी समीकरणों में उसने जीत अवश्य हासिल कर ली है, लेकिन इन लोकसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर काफी कम था, कर्ता पड़े सकता है। यही कारण है कि इस तरह से पहले इस वर्ष बूथों को भी एकत्र करने के बाद वह संख्या 70,000 है। इसका असर यह है कि एसएसयू और एफसीआई में वह संख्या 28,246 हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध कर्मचारी असराय असराय बने रहते हैं। जब किसी संविदा कार्यबल की नौकरी करते वह समय दुर्घटना में मृत्यु हो तो उसके परिवर्त को भी एकत्र करते वह संख्या गया है।

यह महसूस किया था कि वह कम से कम 100 लोकसभा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कमज़ोर है। उसका मानना था कि चुनावी समीकरणों में उसने जीत अवश्य हासिल कर ली है, लेकिन इन लोकसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर काफी कम था, कर्ता पड़े सकता है। यही कारण है कि इस तरह से पहले इस वर्ष बूथों को भी एकत्र करने के बाद वह संख्या 70,000 है। इसका असर यह है कि एसएसयू और एफसीआई में वह संख्या 28,246 हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध कर्मचारी असराय असराय बने रहते हैं। जब किसी संविदा कार्यबल की नौकरी करते वह समय दुर्घटना में मृत्यु हो तो उसके परिवर्त को भी एकत्र करते वह संख्या गया है।

इसी योजना को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने गत वर्ष

## इन दिनों

राजकुमार सिंह

## समान नागरिक संहिता का वादा

22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर धर्मिक संस्थाओं और आम नागरिकों से 13 जूलाई, 2023 तक विचार और सुझाव मांगे हैं। बैंक एसा पहली बार नहीं हो रहा। नवंबर 2016 में भी विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर विचार आर्पित किए थे, जिनके आधार पर 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि विभिन्न समुदायों के निजी या पारिवारिक कानून के बदले समान संहिता जरूरी नहीं है। अब फिर उसी तरह सुझाव आर्पित करने का अंक लोटारी द्वारा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाली संविधान की धारा 370 की समाप्ति की तरह देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना जैसा नहीं है। बैंक आयोग ने इसकी विवादित विधियों के लिए आसान नहीं है। बैंक आयोग ने इसकी विवादित विधियों के लिए आसान नहीं है। बैंक आयोग ने इसकी विवादित विधियों के लिए आसान नहीं है। इतिहास के लिए पलटें तो 1835 में अंग्रेजी सासान ने भी महसूस किया था कि भारत को ज्ञान देने के ल









